पत्र संख्या–पुर०–03 / 2023–24........292........./रा०

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग

Website-www.rajbhasha.bihar.gov.in, E-mail:- rajbhasha@bihar.gov.in
Landline no.- 0612-2520128, Mobile no.- 9472270215

प्रेषक

सुमन कुमार,
निदेशक।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-.....18.5.23.....

विषय:- **सरकारी सेवक प्रोत्साहन पुरस्कार योजना, 2023–24 से संबंधित विज्ञापन का प्रकाशन।**

महोदय,

बिहार सरकार, मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग की सरकारी सेवक प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अधीन जिला स्तर पर न्यायिक पदाधिकारियों, जिला स्तर पर पदाधिकारियों/कर्मचारियों एवं सचिवालय स्तर पर पदाधिकारियों/कर्मचारियों को सरकारी काम–काज में राजभाषा हिन्दी के उत्कृष्ट प्रयोग के लिए प्रोत्साहित एवं सम्मानित करने के उद्देश्य से उनकी टिप्पणियों के मूल्यांकन के आधार पर पुरस्कृत किया जाता है।

अतः अनुरोध है कि तत्संबंधी संलग्न विज्ञापन को राज्य के प्रमुख हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

16/05/2023

(सुमन कुमार)
निदेशक

ज्ञाप संख्या-..........292........../रा०, पटना, दिनांक-...18.5.23.....

प्रतिलिपि:-प्रोग्रामर, मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग को विभागीय वेबसाईट पर विज्ञापन की प्रति (संलग्न) को अपलोड करने हेतु दी जाती है।

16/05/2023

(सुमन कुमार)
निदेशक

D:\VIVEK 2023\Vijay Prakash Sinha\Pur-03-2022-23-24-04-23.doc

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग
Website-www.rajbhasha.bihar.gov.in, E-mail:- rajbhasha@bihar.gov.in
Landline no.- 0612-2520128, Mobile no.- 9472270215

सरकारी सेवक प्रोत्साहन पुरस्कार योजना

2023–24

सरकारी काम–काज में राजभाषा हिन्दी के उत्कृष्ट प्रयोग के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग द्वारा सरकारी सेवक प्रोत्साहन पुरस्कार योजना संचालित है। इस योजनान्तर्गत तीन कोटियों के पुरस्कार निम्नवत् देय हैं:–

क्र. सं.	पुरस्कार की कोटि	पुरस्कारों की कुल संख्या	प्रति पुरस्कार की राशि	कुल राशि
1	2	3	4	5
1	जिला स्तर पर न्यायिक पदाधिकारियों के लिए (प्रत्येक जिला के लिए एक)	38	10,000	380000
2	जिला स्तर पर पदा0/कर्म0 के लिए (प्रत्येक जिला के लिए एक)	38	10,000	380000
3	सचिवालय स्तर पर पदा0/कर्म0 के लिए (प्रत्येक विभाग के लिए एक)	44	10,000	440000
		कुल		12,00,000

उपर्युक्त तीनों कोटियों के पुरस्कारों के लिए निर्धारित मानदण्ड एवं प्रक्रिया संबंधी आलेख विभागीय बेवसाइट **www.rajbhasha.bihar.gov.in** पर देखी जा सकती है। इस पुरस्कार प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक पदा०/कर्म० अपनी प्रविष्टियाँ (अपने मोबाईल नं० के साथ) निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग, सी/211, ऑफिसर्स हॉस्टल, (बिहार म्यूजियम के सामने) बेली रोड, पटना–800001 को निर्धारित तिथि 31.07.2023 तक अपने विभाग के माध्यम से भेज सकते हैं।

16/05/2023
(सुमन कुमार)
निदेशक
मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग

D:\VIVEK 2023\Vijay Prakash Sinha\Sarkari Sewak Puraskar 2023-24 04-05-2023.doc

सरकारी सेवक प्रोत्साहन पुरस्कार योजना को कार्यान्वित करने हेतु

आलेख

बिहार सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग के द्वारा सरकारी काम–काज में राजभाषा हिन्दी के उत्कृष्ट प्रयोग के लिए सरकारी सेवक प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत कुल 12:.00 (बारह) लाख रु0 की राशि उपबंधित है। इस योजनान्तर्गत निम्नलिखित तीन कोटियों के पुरस्कार दिये जाने का प्रावधान किया गया है:–

क्र. सं.	पुरस्कार की कोटि	पुरस्कार की संख्या	प्रति पुरस्कार राशि	कुल राशि
1	2	3	4	5
1	जिला स्तर पर न्यायिक पदाधिकारियों के लिए	38	10,000	38,0000
2	जिला स्तर पर पदा0/कर्म0 के लिए	38	10,000	38,0000
3	सचिवालय स्तर पर पदा0/कर्म0 के लिए	44	10,000	44,0000
	कुल	120		**12,00,000**

इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु उपर्युक्त तीनों कोटियों के पुरस्कारों के लिए गुणवत्ता का मूल्यांकन करने एवं योग्य सरकारी सेवक का चयन करने हेतु मानदण्ड एवं प्रक्रिया निम्नवत होगी :–

1. न्यायिक सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों को प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए

(क) जिलावार 10,000/–(दस हजार) रुपये का एक पुरस्कार राज्य के प्रत्येक जिला के न्यायिक सेवा संवर्ग के एक चयनित पदाधिकारी को दिया जाएगा।

(ख) पुरस्कार के लिए चयन हेतु जिला के न्यायिक सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों द्वारा विगत एक वर्ष में हिन्दी में दिये गये न्याय निर्णय एवं हिन्दी में किये गये अन्य न्यायिक कार्यों को मुख्य आधार माना जाएगा।

(ग) उपर्युक्त 'ख' के आधार पर गुणवत्ता का मूल्यांकन कर प्रत्येक जिला के न्यायिक सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों में से एक योग्य पदाधिकारी का चयन कर उसके नाम की अनुशंसा संबंधित जिला के जिला एवं सत्र न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त होने पर पुरस्कार देय होगा।

(घ) उपर्युक्त के आलोक में न्यायिक सेवा संवर्ग के एक योग्य पदाधिकारी का चालू वित्तीय वर्ष में चयन कर राज्य के प्रत्येक जिला से शीघ्र अनुशंसा देने हेतु सभी जिला एवं सत्र न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय से पत्र द्वारा अनुरोध किया जाएगा।

2. जिला स्तर के पदाधिकारी/कर्मचारी को प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए

(क) जिलावार 10,000/– (दस हजार) रुपये का एक पुरस्कार राज्य के प्रत्येक जिले के जिला स्तरीय संवर्ग के पदाधिकारी/कर्मचारी को विगत एक वर्ष में उनके द्वारा हिन्दी में लिखी गई टिप्पणी की भाषा एवं गुणवत्ता की स्तरीयता के मूल्यांकन के आधार पर चयनित पदा0/कर्म0 को दिया जाएगा।

(ख) सभी जिलाधिकारी द्वारा उपर्युक्त प्रोत्साहन पुरस्कार के निमित्त अपने अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मचारियों से विगत एक वर्ष में लिखी गई टिप्पणी की प्रतिलिपि आमंत्रित की जाएगी। इच्छुक पदाधिकारी/कर्मचारी द्वारा अपनी किसी एक श्रेष्ठ टिप्पणी की प्रतिलिपि (5 प्रतियों में) जिलाधिकारी के पास विचारार्थ भेजी जाएगी/भेजी गई टिप्पणी किसी संचिका से ही उद्धृत होगी।

(ग) प्राप्त टिप्पणियों का मूल्यांकन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा भाषा एवं गुणवत्ता के आधार पर किया जाएगा।

(घ) जिलाधिकारी की अध्यक्षतावाली इस समिति में, हिन्दी में रुचि एवं योग्यता रखनेवाले पदाधिकारी को इसका सदस्य मनोनीत किया जाएगा।

चयन–समिति द्वारा चुने गये एक पदाधिकारी/कर्मचारी के नाम की अनुशंसा जिलाधिकारी द्वारा निदेशक, राजभाषा (विभाग) को भेजी जाएगी।

3. सचिवालय स्तर के पदाधिकारी/कर्मचारी को प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए

(क) विभागवार 10,000/– (दस हजार) रुपये का एक पुरस्कार, प्रत्येक विभाग के सचिवालय स्तर के पदाधिकारी/कर्मचारी को विगत एक वर्ष में उनके द्वारा हिन्दी में लिखी गई टिप्पणी की भाषा एवं गुणवत्ता की स्तरीयता के मूल्यांकन के आधार पर चयनित पदा0/कर्म0 को दिया जाएगा। किसी विभाग से एक ही पदा0/कर्म0 का चयन किया जाएगा। कुल पुरस्कारों की संख्या–44 तक सीमित होगी।

विभागों से प्राप्त टिप्पणियों की गुणवत्ता एवं स्तरीयता की जाँच प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग द्वारा मनोनीत तीन विशेषज्ञों द्वारा करायी जायगी। तीनों विशेषज्ञ भाषा एवं गुणवत्ता की स्तरीयता के आधार पर टिप्पणियों का मूल्यांकन करेंगे।

(ख) इस योजना में भाग लेने के लिए इच्छुक पदाधिकारी/कर्मचारी विगत एक वर्ष में अंकित अपनी किसी एक उत्कृष्ट टिप्पणी की प्रतिलिपि (5 प्रतियों में) जिसमें संचिका संख्या एवं वर्ष का उल्लेख शीर्ष भाग पर रहेगा, अपने विभाग के माध्यम से निदेशक राजभाषा, को (निर्धारित तिथि तक) भेज सकते है। टिप्पणियों के मूल्यांकन का आधार उनकी भाषा एवं गुणवत्ता की स्तरीयता होगी।

प्रत्येक विभाग अपने अधीनस्थ अधिकतम तीन पदाधिकारियों/कर्मचारियों की प्रविष्टियाँ भेज सकता है।

(ग) संबद्ध विभाग को इस आशय का प्रमाण–पत्र भी देना होगा कि भेजी गई टिप्पणी संबद्ध सरकारी सेवक द्वारा ही अंकित की गई है तथा संचिका सं0–.............. से उद्धृत है।

उपर्युक्त तीनों पुरस्कारों से संबद्ध सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/जिलाधिकारी को इस योजना के संबंध में अलग से पत्र/अनुदेश भेजा जाएगा।

सभी पुरस्कार योजनाओं हेतु मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग कार्यालय में प्रविष्टि/अनुशंसा प्राप्ति की अन्तिम तिथि निर्धारित की जाएगी।

4/6/20

(इम्तियाज अहमद करीमी)
निदेशक

रा-पंकज (2014)\Vijay Prakash Sinha\Sarkari Sewak Puraskar 2018-19\Sarkari Sewak Puraskar Alekh.doc